सिटीजन चार्टर

चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें

उत्तराखण्ड

उद्‌देश्यः– ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं तथा बच्चों के लिये उत्तम स्तर की उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना।

उपकेन्द्र	उपकेन्द्र का नाम	सूचना पट्‌ट
निःशुल्क सेवायें / सुविधायें	कार्यकर्ता / कार्यकर्ती का नाम खुलने का समय	– – प्रातः08 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक । (ग्रीष्मकालीन 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर) – प्रातः 09 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक । (शीतकालीन 01 नवम्बर से 31 मार्च) – कार्यकर्ती प्रत्येक सप्ताह फिक्स–डे–अप्रोच कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम करती हैः– **सोमवार–** क्लीनिक अथवा शनिवार को छूटा हुआ आउटरीच पूरा करना। **मंगलवार**– क्षेत्र भ्रमण एवं परिवार नियोजन संबंधी सलाह देना। **वुधवार** – उपकेन्द्र दिवस, माह के प्रथम बुद्धवार को गर्भवती माताओं एवं बच्चों का टीकाकरण कार्य तथा शेष बुद्धवार को पी0एन0सी0 चैकअप एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी परामर्श। **वृहस्पतिवार**– क्षेत्र भ्रमण एवं परिवार नियोजन संबंधी सलाह देना। **शुक्रवार** – माह के तृतीय शुक्रवार को सैक्टोरियल मीटिंग में एवं चर्तुथ शुक्रवार को ब्लाक स्तरीय बैठक में भागीदारी एवं अन्य शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण। **शनिवार–** ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस / स्वास्थ्य शिक्षा देना। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अंतर्गत आंगनबाडी एवं आशा कार्यकर्ती के साथ नवजात शिशुओं का टीकाकरण करना, जीरो डोज पोलियो ड्राप्स पिलाना एवं डायरिया एवं निमोनिया रोग का उपचार करना। ए0एन0एम0 द्वारा आंगनबाडी में जा कर उपकेन्द्र दिवस के छूटे हुये बच्चों का टीकाकरण एवं गर्भीवती महिलाओं का टीकाकरण करना एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। **इसके अतिरिक्त अन्य दैनिक कार्य :–** टीकाकरण, पी0एच0सी0 मुख्यालय पर मीटिंग आदि–जाने का समय, स्थान और लौटने का सम्भावित समय उपकेन्द्र पर प्रदर्शित किया जाना। (1) गर्भवती माताओं का पंजीकरणः– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकरी देना। (2) गर्भवती माताओं को टिटनेस का टीकाकरण। (3) गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व की देखभाल व आयरन फोलिक गोलियों का वितरण।

		(4) सुरक्षित प्रसव करना एवं संस्थागत प्रसव की जानकारी देना, हाईरिक्स माता को समय पर पहचान कर सुरक्षित प्रसव पर रैफर करना। (5) प्रसव पश्चात् मां व बच्चे की देखभाल करना। (6) बच्चों में टी0बी0, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पैन्टावैलैन्ट, हैपेटाईटिस–बी व मिजिल्स का टीकाकरण करना ताकि बच्चों को जानलेवा बिमारियों से बचाया जा सके। (7) डायरिया व निमोनिया के रोग का उपचार। (8) रतोंधी रोग से बचाव के लिये विटामिन ''ए''घोल तथा रक्ताल्ता से बचाने हेतु आयरन फोलिक की गोलियों का वितरण। (9) लक्ष्य दम्पत्तियों का बध्याकरण करने पर महिला लाभार्थी को 2200 रू0 (*पी0पी0एस0 प्रसव उपरान्त 7 दिन के भीतर) तथा सामान्य अवस्था में 1400 रू0 प्रोत्साहन राशि बध्याकरण पर महिला लाभार्थी को दिलाना तथा पुरूष नसबन्दी (एन.एस.वी.) करवाने पर 2000 रू0 प्रोत्साहन राशि दिलाना। (10) गर्भ निरोधक, सामग्री, पिल्स, निरोध का वितरण एंव लूप निवेशन। (11) परिवार कल्याण की जानकारी देना पात्र दम्पत्तियों को प्रेरित करना व लाभार्थियों का फालोअप। (12) संक्रामक रोगों की पहचान व उपचार। (13) एड्स/रतिरोग/योन रोग के विषय में प्रचार–प्रसार एवं एच0आई0वी0 एड्स से बचाव की सलाह देना। (14) जन्म–मृत्यु का पंजीकरण करवाने में सहयोग करना, पंजीकरण से मिलने वाले वाले लाभों की जानकारी देना। (15) डाट्स कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोग का उपचार तथा निःशुल्क दवाईयों का 6 माह या 9 माह तक वितरण।
	– फार्मासिस्ट	– फार्मासिस्ट का नाम / चिन्हित उपकेन्द्रों पर **कार्य** :– प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, जनमानस को सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी देना। जनमानस का दायित्व है कि चिन्हित सुविधाओं के न मिलने पर शिकायत पंजीका में शिकायत दर्ज करें तथा अपना सुझाव दें ताकि व्यवस्थाओं को सुगम एवं उत्कृष्ठ बनाया जा सके। शिकायत पंजीका ए0एन0एम0 के पास उपलब्ध है।

उद्देश्यः– ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं तथा बच्चों के लिये उत्तम स्तर की उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	सूचना पट्ट
पंजीकरण शुल्क रू0 9/– 15 दिन के लिये मान्य	– प्रभारी चिकित्साधिकारी	– प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का नाम
	– चिकित्साधिकारी	(1) (2)
	– फार्मासिस्ट	– फार्मासिस्ट का नाम
	– नेत्र सहायक	– नेत्र सहायक का नाम
	– खुलने का समय	– प्रातः08 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक (ग्रीष्मकालीन 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर) – प्रातः 09 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (शीतकालीन 01 नवम्बर से 31 मार्च)
	– आपातकालीन सेवायें	– 24 घन्टे सेवायें उपलब्ध हैं
	– मेडिकोलीगल सेवायें	– 24 घन्टे सेवायें उपलब्ध हैं
	– बाह्यः रोगी विभाग की सेवायें	– सामान्य रोगी के लिये उपचार उपलब्ध है।
	– सामान्य जांच सेवायें	– मल, मूत्र, रक्त, मलेरिया एंव टी0बी0(स्पूटम)
	– परिवार कल्याण एंव मातृ शिशु कल्याण सेवायें	– (1) गर्भवती माताओं का पंजीयन। (2) गर्भवती माताओं को टिटनेस का टीकाकरण। (3) गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व की देखभाल व आयरन फोलिक गोलियों का वितरण। (4) सुरक्षित प्रसव। (5) प्रसव पश्चात् मां व बच्चे की देखभाल। (6) बच्चों में टी0बी0, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पैन्टावैलैन्ट, हैपेटाईटिस–बी व मिजिल्स का टीकाकरण। (7) डायरिया व निमोनिया के रोग का उपचार (8) रतौंधी रोग से बचाव के लिये विटामिन ''ए' घोल तथा रक्त अल्पता से बचाव हेतु आयरन फोलिक की गोलियों का वितरण। (9) लक्ष्य दम्पत्तियों का बंध्याकरण, पात्र दम्पत्तियों को प्रेरित करना व लाभार्थियों का फालोअप। (10) गर्भ निरोधक सामग्री, पिल्स, निरोध का विरण एंव कॉपर–टी निवेशन।

		(11) संक्रामक रोगों की पहचान व उपचार। (12) एड्स/रतिरोग/योन रोग के विषय में प्रचार–प्रसार एवं बचाव की सलाह। (13) जन्म–मृत्यु का पंजीकरण एवं पंजीकरण होने वाले लाभ की जानकारी देना। (14) डाट्स कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोग का उपचार, निःशुल्क दवाईयों का 6 माह य 9 माह के वितरण।
	– नसबन्दी पुरूष	– शिविर दिवस पर
	– महिला नसबन्दी	– शिविर दिवस पर
	– संक्रामक रोग एंव विभिन्न	– उपलब्ध हैं।
	कार्यक्रमों की सेवायेंः–	– उपलब्ध हैं।
	– टीकाकरण सेवायें	– उपलब्ध हैं।
	– नेत्र उपचार	– उपलब्ध हैं।
	– कुष्ठ उपचार	– उपलब्ध हैं।
	– मलेरिया उपचार	– उपलब्ध हैं।
	– आवश्यक संस्थागत प्रसव सेवायें	– 24 घन्टे उपलब्ध हैं।
	–ए0आर0वी0(कुत्ते काटे के टीके)	– उपलब्ध हैं। शय्याओं की संख्या–4
	– अंत रोगी विभाग की सेवायें	डाक्टर की सलाह पर मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती रहने की सुविधा उपलब्ध है।
	–एम्बूलेंन्स सेवायें	– 24 घन्टे उपलब्ध हैं। रू0 19/– प्रति किलोमीटर न्यूनतम 100/– रू0। 5 किमी0 तक अतिरिक्त रू0 39/– प्रति किलोमीटर
	सूचना के अधिकार अधिनियम '2005' के अंतर्गत	
	सूचना अधिकारी –	– प्रभारी चिकित्साधिकारी
	अपीलीय अधिकारी –	– मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 10/_–रू0 शुल्क जमा कर चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं की जानकारी नियमानुसार उपलब्ध करायी जाती है।
	शिकायत –	शिकायत पुस्तिका प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध है। सेवायें न मिलने पर चिकित्सा अधिकारी से शिकायत कर एवं सुझाव देकर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग दें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	सूचना पट्ट
पंजीकरण शुल्क 10/-रू0 15 दिन के लिये मान्य,	चिकित्सा अधिकारी	- चिकित्सा अधीक्षक - उपलब्ध (कार्यदिवस में 24 घन्टे उपलब्ध) - सर्जन - प्रतिदिन उपलब्ध - फिजीशियन - प्रतिदिन उपलब्ध - बाल रोग विशेषज्ञ - प्रतिदिन उपलब्ध - डेन्टल सर्जन - प्रतिदिन उपलब्ध - महिला चिकित्सक - प्रतिदिन उपलब्ध - पैथालॉजिस्ट - **चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञ एवं सुविधा की उपलब्धता होने पर।** - एनेस्थेटिस्ट **चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञ एवं सुविधा की उपलब्धता होने पर।** - नेत्र सर्जन **चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञ एवं सुविधा की उपलब्धता होने पर।**
	- पैरामेडिकल स्टाफ	- फार्मासिस्ट - प्रतिदिन उपलब्ध - लैब टेक्नीशियन - प्रतिदिन उपलब्ध - एक्स-रे टेक्नीशियन - प्रतिदिन उपलब्ध - नेत्र सहायक - प्रतिदिन उपलब्ध - स्टाफ नर्स - प्रतिदिन उपलब्ध
	- खुलने का समय	- प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक (ग्रीष्मकालीन 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर) - प्रत्येक दिन सुबह 09 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक। (शीतकालीन 01 नवम्बर से 31 मार्च)
	- **वाह्य रोगी विभाग सेवायें** - आकस्मिक सेवायें - मेडिकोलीगल सेवायें - **जांच सुविधायें** - एक्स-रे सुविधायें - आपरेशन की सुविधायें - प्रसव सेवायें -आवश्यक/जटिल प्रसव की सुविधा	 - 24 घण्टे उपलब्ध। - 24 घण्टे उपलब्ध है। - मल मूत्र रक्त एवं स्पूटम की जाँच। - उपलब्ध हैं। - उपलब्ध है /उपलब्ध नहीं हैं। - 24 घन्टें उपलब्ध हैं। - उपलब्ध हैं/उपलब्ध नहीं है।

	– टीकाकरण – नेत्र उपचार सेवायें – कुष्ठ उपचार सेवायें – क्षय उपचार –ए0आर0वी0(कुत्ते काटे के टीके)	– प्रत्येक बुधवार। – प्रतिदिन उपलब्ध। – प्रतिदिन उपलब्ध। – प्रतिदिन उपलब्ध। डाट्स कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क दवाईयाँ केटेगरी अनुसार खिलायी एवं वितरित की जाती हैं। – 24 घन्टें उपलब्ध हैं।
	– परिवार कल्याण सेवायें	(1) गर्भवती माताओं का पंजीयन (2) गर्भवती माताओं को टिटनेस का टीकाकरण (3) गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व की देखभाल व आयरन फोलिक गोलियों का वितरण। (4) सुरक्षित प्रसव– संस्थागत प्रसव की सलाह एवं प्रसव कराना। (5) प्रसव पश्चात् मॉ व बच्चे की देखभाल। (6) बच्चों में टी0बी0, पोलियो, डिप्थीरियाा, टिटनेस व काली खांसी पैन्टावैलैन्ट, हैपेटाईटिस–बी व मिजिल्स का टीकाकरण। (7) डायरिया व निमोनिया के रोग का उपचार। (8) रतौंधी रोग से बचाव के लिये विटामिन ''ए' घोल तथा रक्त अल्पता से बचाव हेतु आयरन फोलिक की गोलियों का वितरण। (9) लक्ष्य दम्पत्तियों का बध्याकरण करने पर महिला लाभार्थी को 2200रू0 (*पी0पी0एस0 प्रसव उपरान्त 7 दिन के भीतर) तथा सामान्य अवस्था में 1400 रू0 प्रोत्साहन राशि बध्याकरण पर महिला लाभार्थी को दिलाना तथा पुरूष नसबन्दी (एन.एस.वी.) करवाने पर 2000 रू0 प्रोत्साहन राशि दिलाना। (10) गर्भ निरोधक सामग्री, पिल्स, निरोध का विरण एंव लूप निवेशन। (11) परिवार कल्याण की जानकारी देना पात्र दम्पत्तियों को प्रेरित करना व लाभार्थियों का फालोअप। (12) संक्रामक रोगों की पहचान व उपचार। (13) एड्स/रतिरोग/योन रोग के विषय में प्रचार–प्रसार एवं बचाव। (14) जन्म–मृत्यु का पंजीकरण।

		(15) पुरूष नसबन्दी निर्धारित शिविर दिवस पर (16) महिला नसबन्दी निर्धारित शिविर दिवस पर
	अन्तः रोगी विभाग–	– शैय्याओं की संख्या–30/10 भर्ती पंजीकरण शुल्क – रू0 20/दिन 3 दिन के बाद बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की भर्ती – निःशुल्क
	सूचना के अधिकार अधिनियम '2005' के अंतर्गत **लोक सूचना अधिकारी –** **अपीलीय अधिकारी –**	 – चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी – मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 10/–रू0 शुल्क जमा कर चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं की नियमानुसार जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
	शिकायत –	शिकायत पुस्तिका चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध है। सेवायें न मिलने पर चिकित्सा अधिकारी से शिकायत कर एवं सुझाव देकर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग दें।

जिला चिकित्सालय पुरूष/बेस/संयुक्त चिकित्सालय	सूचना पट्ट
– पंजीकरण शुल्क रू0 19/– 15 दिनों के लिए मान्य।	–
– चिकित्सालय का नाम	–
– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	–
– समय	
– आपातकालीन सेवायें	– 24 घन्टे उपलब्ध है।
– मेडिकोलीगल सेवायें	– 24 घन्टे उपलब्ध है।
– सामान्य सेवायें:–	– प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक (ग्रीष्मकालीन 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर) – सुबह 09 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक। (शीतकालीन 01 नवम्बर से 31 मार्च)
(1) शल्य चिकित्सा विभाग	– शल्यक (नाम)
(2) काय चिकित्सा विभाग	– काय चिकित्सक का नाम 1– 2–
(3) बाल रोग विभाग	–चिकित्सक का नाम 1– 2–
(4) अस्थि रोग विभाग	–चिकित्सक का नाम 1– 2–
(5) नेत्र उपचार विभाग	–चिकित्सक का नाम 1– 2–
(6) नाक–कान–गला विभाग	–चिकित्सक का नाम 1– 2–
(7) दन्त विभाग	–चिकित्सक का नाम

	– डेन्टल हाईजिनिस्ट
(8) एनेस्थीसिया विभाग	–चिकित्सक का नाम 1– 2–
(9) पैथालोजी विभाग	–चिकित्सक का नाम 1– 2–
(10) रेडियोलॉजी विभाग	– चिकित्सक का नाम 1– 2–
(11) अल्ट्रासाउन्ड विभाग	– चिकित्सक का नाम 1– 2–
(12) इन्टेन्सिव केयर यूनिट	– चिकित्सक का नाम 1– 2–
(13) ब्लड बैंक	– चिकित्सक का नाम 1– 2–
(14) फिजियोथैरेपी यनिट	– भौतिक चिकित्सक का नाम 1– 2–
(15) आकूपेशनल थिरैपी यूनिट	– भौतिक चिकित्सक का नाम 1– 2–
(16) इन्टेन्सिव कार्डियक केयर यूनिट	– चिकित्सक का नाम 1– 2–
(17) प्लास्टिक एंव बर्न यूनिट	– चिकित्सक का नाम

(18) त्वचा एंव चर्म रोग विशेषज्ञ	– चिकित्सक का नाम
(19) डायलेसिस	– चिकित्सक का नाम
(20) न्यूरोलोजी सेवाये	– चिकित्सक का नाम
(21) केटस्केन सेवायें	– चिकित्सक का नाम
(22) अन्य विशिष्ट चिकित्सा सेवायें	– आई0सी0टी0सी (प्रतिदिन) – ए0आर0टी0 सेन्टर (एण्टी रिट्रोवाईरल ट्रीटमैन्ट)(प्रतिदिन)
– **आयुष कार्यक्रम के अन्तर्गतः–** –होम्योपैथिक सेवायें –आयुर्वेदिक सेवायें	– उपलब्ध है। – चिकित्सक का नाम – फार्मासिस्ट (भेषजिक) का नाम – चिकित्सक का नाम – फार्मासिस्ट का नाम
❖ **अन्तः रोगी विभाग** ➢ **प्राइवेट वार्ड** ➢ **पेइंग वार्ड**	– शैय्याओं की संख्या– – शैय्याओं की संख्या–
परिवार कल्याणः– ➢ टीकाकरण ➢ पुरूष नसबन्दी ➢ नो स्केलपिल बासेक्टमी(एन0एस0वी) ➢ महिला नसबन्दी	– प्रत्येक दिन **चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञ की उपलब्धता होने पर।** – प्रत्येक मंगलवार – प्रत्येक दिन – प्रत्येक दिन – प्रत्येक दिन

➢ मिनीलैप	– प्रत्येक दिन
➢ लेप्रोस्कोपिक	– प्रत्येक दिन
➢ निरोध	
➢ पिल्स	– प्रत्येक दिन
–पोस्टमार्टम	– प्रत्येक दिन
– ए0आर0वी0(कुत्ते काटे के टीके)	– उपलब्ध है।
–स्वास्थ्य/चिकित्सकीय परीक्षण प्रमाण पत्र)	– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रत्येक कार्यदिवस)
–जनता से मिलने का समय	– प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे
–शिकायत एंव सुझाव पुस्तिका	– आकस्मिक विभाग एंव प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है
–चिकित्सकीय सेवाओं के लिये देय शुल्क का विवरणः–	
–वाह्म रोगी विभाग पंजीकरण शुल्क	– 19/-
– अंतः रोगी भर्ती का शुल्क	– 98/–
– पेइंग वार्ड भर्ती का शुल्क	– शासन द्वारा जारी रेटलिस्ट प्रदर्शित की जायेगी।
– पैथालोजी टेस्टों का विवरण	– तदैव
– एक्स–रे टेस्टों का विवरण	– तदैव
– अल्ट्रासाउन्ट का विवरण	– तदैव
❖ **अन्य सुविधायें:–**	
– रैन बसेरा	
– सुलभ शौचालय	
– जनऔषधि केन्द्र / पी0सी0ओ0/ कैन्टीन/किचन/जनरेटर कक्ष/बैंक	

❖ **सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत** **– लोक** सूचना अधिकारी – – प्रथम अपीलीय अधिकारी	– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का नाम –मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 10/–रू0 शुल्क जमा कर चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं की नियमानुसार जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

जिला महिला चिकित्सालय	सूचना पट्ट
❖ पंजीकरण शुल्क रू0 19/– 15 दिनों के लिए मान्य।	–
❖ चिकित्सालय का नाम	–
❖ प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का नाम	
❖ सामान्य सेवाएँ (समय)	– प्रातः 08 बजे से 02 बजे अपरान्ह तक (ग्रीष्मकालीन 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर) – सुबह 09 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक। (शीतकालीन 01 नवम्बर से 31 मार्च)
❖ आपातकालीन सेवायें	– 24 घन्टे उपलब्ध हैं।
❖ मेडिकोलीगल सेवायें	– 24 घन्टे उपलब्ध हैं।
❖ स्त्री रोग विभाग	–डा0.. –डा0..
❖ बाल रोग विशेषज्ञ	–डा0..
❖ एनेस्थेटिस्ट	–डा0..
❖ अल्ट्रासोनोसिस्ट	–डा0.. –डा0.. –डा0.. –डा0..
सामान्य सेवायें	– चिकित्सक का नाम – प्रसव पूर्व जांच – प्रसव सेवायें – आकस्मिक/जटिल प्रसव प्रबन्धन सुविधाये – प्रसूति पश्चात् सेवायें – गर्भ समापन सुविधायें – बाल रोग विभाग

अंतः रोग विभाग वाह्य रोगी विभाग	– टीकाकरण – पैथालोजी – अल्ट्रासाउन्ड – निओनेटोलोजी – इन्फर्टीलिटी क्लीनिक – शैय्याओं की संख्या
परिवार कल्याण की सुविधायें:– – महिला नसबन्दी – मिनीलैप – लेप्रोस्कोपी – ओरलपिल्स – निरोध – कापर–टी	– प्रत्येक दिन – प्रत्येक दिन **चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञ की उपलब्धता होने पर।** – प्रत्येक दिन – प्रत्येक दिन – प्रत्येक दिन – प्रत्येक दिन
❖ **सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत** **– लोक** सूचना अधिकारी – – प्रथम अपीलीय अधिकारी	– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का नाम –मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 10/–रू0 शुल्क जमा कर चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं की नियमानुसार जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय	सूचना पट्ट
❖ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम ❖ जनता से मिलने का समय ❖ दिव्यांग प्रमाण–पत्र ❖ आयु प्रमाण–पत्र(मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश के अनुपालन में सक्षम न्यायालय द्वारा आयु प्रमाण–पत्र मांगे जाने पर) ❖ खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का पंजीयन एंव बिक्री पर नियंत्रण ❖ जन्म–मृत्यु पंजीकरण	– 03 बजे अपरान्ह से 05 बजे अपरान्ह तक – प्रत्येक वुधवार – प्रत्येक मंगलवार – प्रत्येक कार्यदिवस – तदैव – तदैव – रजिस्ट्रार, स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर : नगर स्वास्थ्य अधिकारी (जहॉ हैं) – रजिस्ट्रार, स्थानीय क्षेत्र उक्त कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर : कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के अधिशासी अधिकारी (जहॉ हैं) – रजिस्ट्रार, स्थानीय क्षेत्र नगर पंचायत की अधिकारिता के भीतर : नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी – रजिस्ट्रार, स्थानीय क्षेत्र ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर : ग्राम पंचायत विकास अधिकारी – राजकीय जिला/बेस/महिला/संयुक्त चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/प्रमुख अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारी को उनके संस्थान में घटित जन्म– मृत्यु के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार (जन्म– मृत्यु) घोषित किया गया है ।

❖ शिकायत पुस्तिका/सुझाव पुस्तिका	– उपलब्ध है।
❖ सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गतः– – लोक सूचना अधिकारी	– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
❖ अपीलीय अधिकारी	– मुख्य चिकित्सा अधिकारी
❖ पी0एन0डी0टी0 एक्ट (प्रीनेटल डाईगोन्सिटिक टैस्ट) के अन्तर्गत– सदस्य सचिव	– मुख्य चिकित्सा अधिकारी
– Appropriate Authority (समुचित प्राधिकारी)	– जिला अधिकारी
❖ राज्य स्तरीय चिकित्सा प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून मात्र)	– माह के प्रथम एवं तृतीय गुरूवार
❖ मण्डल स्तरीय चिकित्सा प्रमाण पत्र	– प्रत्येक बुधवार
❖ जिला स्तरीय चिकित्सा प्रमाण पत्र	– प्रतिदिन

अन्य कल्याणकारी योंजनाएं :—

पी0पी0पी0 मोड में विशिष्ट सेवायें –– नैफ्रोलोजी डायलिसिस सेन्टर पं0 दीनदयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून
– नैफ्रोलोजी डायलिसिस सेन्टर बैस चिकित्सालय, हल्द्वानी
– कार्डियक केयर यूनिट पं0 दीनदयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून
– कार्डियक केयर यूनिट बैस चिकित्सालय, अल्मोड़ा

राज्य व्याधि सहायता –राज्य व्याधि सहायता निधि के उद्‌देश्य निम्नवत् है :–

क– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के व्यक्तियों को घातक बिमारियों दुर्घटना आदि हेतु विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता प्रदान करना ।

ख– भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार एक मुस्त रू0 150000.00 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ग– आर्थिक सहायता मात्र चिन्हित सरकारी /गैर सरकारी चिकित्सालयो को उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों के उपचार के लिए उपलब्ध कराया जाना ।

– राज्य व्याधि निधि सहायता समिति से सहायता प्रदान किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की गठित कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त एवं संस्तुति के पश्चात राज्य प्रबन्धन समिति को दिये गये अधिकार के अनुसार स्वीकृत की जाती है

– राज्य व्याधि निधि सहायता समिति द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्त्यिों को निम्न घातक बिमारियों हेतु विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:–

1– कैन्सर, 2– हृदय रोग शल्य क्रिया सहित 3– असाध्य मानसिंक रोग शल्य चिकित्सा सहित 4– ब्रेन टयूमर शल्य चिकित्सा सहित 5.–एड्स 6– टोटल हिप नी रिप्लेसमेंट 7– स्पाईनल सर्जरी 8– मेजर वैस्कुलर सर्जरी 9– बोन मैरो टान्सप्लान्टेशन । 10– गुर्दा प्रत्यारोपण 11– कॉर्नियो प्लास्टी

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड–

पात्रता– राज्य के उन सभी बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों के लिये है जो सरकारी कर्मचारी, पेशनर्स, उनके आश्रित तथा आयकरदाता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं–

1. योजना के अन्तर्गत सामान्य बीमारियों हेतु रू0 50,000/– तथा गम्भीर बीमारियों हेतु रू0 1,25,000/– तक की नकदरहित उपचार की सुविधा पंजीकृत चिकित्सालयों द्वारा प्रदान की जाती है।

2 .योजना में 1206 सामान्य बिमारियों, 458 गम्भीर बिमारियो का उपचार तथा 50 प्रकार की स्थितियों में उपचार उपरान्त देखभाल की सुविधा सम्मिलित है।

3 योजना का लाभ अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की दशा में ही दिया जायेगा।

निम्नलिखित बिमारियां/ स्थितियां योजना में शामिल नहीं है–

1 भर्ती नहीं होने की दशा में 2 जन्मजात विकृतियाँ। 3 बंध्याकरण, संतानहीनता का इलाज। 4 टीकाकरण एवं सौन्दर्यीकरण। 5 युद्व के कारण क्षति। 6 आत्महत्या या नशे के कारण क्षति। 7 गर्भपात (आपातकालीन चिकित्सा अवस्था को छोड़कर)।

किसी भी सुझाव एवं शिकायत के लिए अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं एम0एस0बी0वाई टोल फ्री नम्बर– 18002332530, 18001801200 एवं 104 से सम्पर्क करें।

यू0 हेल्थ कार्ड – नकदरहित योजना

योजना का उद्देश्य :–

- उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों (नियमित/सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को नकदरहित चिकित्सा सुविधा (Cashless Medical Facility) भर्ती होने की स्थिति में उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
- **इस योजना में सम्मिलित कर्मचारी / अधिकारी द्वारा अपने वेतन /बैंक चालान द्वारा वार्षिक योगदान (Contribution) दिए जाने का प्रावधान है।**
- योजना के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व अन्य राज्यों में गैर सरकारी चिकित्सालयों को चिन्हित् (Empanelled) कर दिया गया है।
- कोई भी राज्य कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य आवश्यकता पड़ने पर चिन्हित् चिकित्सालयों में भर्ती होकर अपना ईलाज करवा सकता है तथा इसके लिए कर्मचारी को चिकित्सालय को कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। इन चिकित्सालयों में राज्य कर्मचारी/पेंशनर्स स्वेच्छा से इन चिकित्सालयों में भर्ती होकर ईलाज करवा सकते हैं एवं उत्तराखण्ड राज्य से बाहर ईलाज कराने हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सदंर्भण (Referral) कराना आवश्यक होगा। केवल आपातकालीन स्थिति में संदर्भण की बाध्यता नहीं होगी तथा आपातकालीन स्थिति में रोगी किसी भी पंजीकृत चिकित्सालय में चिकित्सा उपचार करा सकता है।
- **यू0 हेल्थ कार्ड योजना** राज्य के सरकारी कर्मचारियों (नियमित/सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को नकदरहित चिकित्सा सुविधा (**Cashless Medical Facility**) होने की उपलब्ध कराए जाने हेतु वर्तमान में संचालित यू0 हेल्थ कार्ड योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

जन अभिमुख प्रशासन को साकार करने हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः– ब्लॉक स्तरीय टीम के द्वारा 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल एवं आंगनबाडी केन्द्रों में कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं का चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण कर बिमारीयों का चिन्हिकरण कर निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रूप से सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 को दिनांक 04 अक्टूबर 2011 से क्रियान्वित कर दिया गया है । इसके अर्न्तगत **सेवा का अधिकार में** निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाओं को निर्धारित समय सीमा मे उपलब्ध कराने के लिए आच्छादित किया गया है :–

क्र0सं0	सेवा का प्रकार	अभिहीत अधिकारी	सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1.	चिकित्सकीय अस्वस्थता प्रमाण प्रत्र	प्र0चि0 अधिकारी / चिकित्साधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी
2.	चिकित्सकीय स्वस्थता प्रमाण प्रत्र (जिला स्तर)	मुख्य चिकित्साधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी/ महानिदेशक, स्वास्थ्य
	स्वस्थता / अस्वस्थता प्रमाण प्रत्र– स्टेट मेडिकल बोर्ड द्वारा (द्वितीय चिकित्सकीय राय)	मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून /सचिव स्टेट मेडिकल बोर्ड उत्तराखण्ड	15 दिन	निदेशक ,स्वास्थ्य	महानिदेशक ,स्वास्थ्य
3.	मेडिकोलिगल सर्टिफिकेट– (क) पुलिस मेडिकोलिगल (ख) एक्सीडेन्टल मेडिकोलिगल (ग) प्राईवेट मेडिकोलिगल	सम्बन्धित प्रभारी चिकि0 अधिकारी / इमरजेन्सी चिकि0 अधिकारी	02 दिन	प्रभारी / चिकित्साधीक्षक सम्बन्धित चिकित्सालय /उपमुख्य चिकित्साधिकारी समबन्धित क्षेत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्साधीक्षक
4.	पोस्टमार्टम (तृतीय प्रति की छाया प्रति)	मुख्य चिकित्साधिकारी	07 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी
5.	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि	प्र0चि0 अधिकारी/ चिकित्साधीक्षक/ मुख्य चिकित्साधीक्षक	02 दिन नार्मल प्रसव 07 दिन सिजेरियन	मुख्य चिकित्साधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी	मण्डलीय निदेशक ,स्वास्थ्य महानिदेशक ,स्वास्थ्य
6.	विकलांगता प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी	03 दिन	जिला अधिकारी	महानिदेशक ,स्वास्थ्य
7.	ड्रग लाईसेन्स – नया जारी करना,	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	03 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक ,स्वास्थ्य
	नवीनीकरण लाईसेन्स		01 माह		
	औषधि निर्माण लाईसेन्स		03 माह		
	नवीनीकरण, लाईसेन्स		01 माह		
8.	खाद्य सुरक्षा –क–खाद्य लाईसेन्स ख– पंजीकरण	खाद्य लाईसेन्स अभिहीत अधिकारी पंजीकरण अधिकारी	02 माह 01 माह	खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी	खाद्य सुरक्षा आयुक्त